उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5

सं0 2178 / वि0 अनु0–5 / व्या0 क0 / 2002

देहरादून : दिनांक 20 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि राज्य में कतिपय उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये नई इकाईयों को और उन इकाइयों को भी जिन्होने विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण या विविधिकरण किया है, कर से छूट, देना या कर की दर में कमी प्रदान करना आवश्यक है,–:

अतएव, अब, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा–8(5), सपठित सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21, के अधीन शक्ति का प्रयोग करके तथा उपरोक्त धारा 8(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी तद्विषयक विज्ञप्तियों का आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए श्री राज्यपाल घोषणा करते हैं कि सम्बन्धित इकाईयों द्वारा 31 मार्च 2000 को या इससे पूर्व इस विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा किये जाने परः–

(क) उत्तरांचल स्थित किसी नई इकाई में विनिर्मित किसी माल के सम्बन्ध में, जिसका उत्पादन आरम्भ होने का दिनांक 17–01– 2000 को या उसके पश्चात पड़ता हो, किन्तु 31 दिसम्बर, 2001 के बाद नहीं, प्रथम बिक्री के दिनांक से या उत्पादन प्रारम्भ होने के दिनांक से छः मास की समाप्ति के अनुवर्ती दिनांक से, जो भी पहले हो, ऐसे माल के विक्रय–धन पर उसके विनिर्माता द्वारा, यथास्थिति, कोई कर देय नहीं होगा या घटी दर पर कर देय होगा,

(ख) किसी इकाई में जिसका विस्तारीकरण किया गया है तथा जिसने दिनांक 31–12–2001 या उसके पूर्व उपरोक्त धारा 4–क के स्पष्टीकरण (5) के खण्ड (क), खण्ड(ग) तथा खण्ड (घ) में उल्लिखित शर्तें पूरी कर ली हैं तथा जिसने दिनांक 17–01–2000, या उसके पश्चात किन्तु दिनांक 31–12–2001 के बाद नहीं,बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ कर लिया है, को विनिर्मित माल के आधारभूत उत्पादन से अधिक निर्मित माल की मात्रा, जब भी प्राप्त हो के विक्रय धन पर, उसके विनिर्माता द्वारा, यथस्थिति, कोई कर देय नहीं होगा या घटी दर पर कर देय होगा,

(ग) किसी इकाई में जिनका विविधिकरण किया गया है तथा जिसमें पहले से विनिर्मित किये गये माल से भिन्न प्रकृति के माल के उत्पादन की तिथि 17–01–2000 को या उसके पश्चात् पड़ती हो, किन्तु 31 दिसम्बर 2001 के बाद नहीं, विनिर्मित माल के सम्बन्ध में इकाई द्वारा पहले से विनिर्मित किये गये माल से भिन्न प्रकार के माल के विक्रय धन पर उसके विनिर्माता द्वारा, यथा स्थिति, कोई कर देय नहीं होगा या घटी दर पर कर देय होगा,

शर्तें

(क) इकाई उद्योग विभाग में अनुज्ञापित हो अथवा भारत सरकार से आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र प्राप्त कर चुकी हो अथवा उद्योग विभाग में स्थायी रूप से अथवा अन्यथा पंजीकृत हो।

(ख) इकाई ने कारखाने के लिये किसी भी श्रोत से भूमि प्राप्त कर ली हो।

(ग) इकाई ने किसी बैंक या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्तीय निगम या कम्पनी को सावधि ऋण के हेतु आवेदन किया हो या किसी निजी वित्तीय संस्थान अथवा अपने निजी श्रोत से पूंजी की व्यवस्था कर ली हो।

स्पष्टीकरणः– इस विज्ञप्ति के प्रयोजन के लिये शब्द "नई इकाई", "विस्तारीकरण" तथा "विविधीकरण" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 यथा उत्तरांचल मे लागू, में इसके लिये क्रमशः दिया गया हो।

(इन्दू कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त